बंडोल-नेमावर योजना पर खर्च होंगे 593 .24 करोड़

इस संबंध में पेश प्रस्ताव को कैबिनेट ने दी हरी झंडी

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 20 मई. सिवनी की बंडोल और देवास की नेमावर समूह जल प्रदाय योजना पर 593 करोड़ 24 लाख रुपये खर्च होंगे. मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रिपरिषद की बैठक में इस संबंध में पेश प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई. स्वीकृति अनुसार सिवनी की बंडोल समूह जल प्रदाय योजना की मूल स्वीकृत लागत राशि 232 करोड़ 57 लाख रुपये के स्थान पर पुनरीक्षित योजना लागत राशि 266 करोड़ 17 लाख रुपये की स्वीकृति दी है.

देवास की नेमावर समूह जल प्रदाय योजना की मूल स्वीकृत लागत राशि 237 करोड़ रुपये के स्थान पर 327 करोड़ 07 लाख रुपये की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दी है. दरअसल बंडोल समूह जल प्रदाय योजना के क्रियान्वयन में 4 ग्रामों एवं 30 बसाहटों को तथा नेमावर समूह जल प्रदाय योजना के क्रियान्वयन में 21 ग्रामों और 11 छूटी हुई बसाहटों को अतिरिक्त रूप से शामिल करने के साथ ही जल जीवन मिशन की गाइडलाइन अनुसार ग्रामीण

परिवारों को क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन से जोड़ने के लिए जल वितरण नलिकाओं, क्लीयर वॉटर राइजिंग मैन, उच्च स्तरीय टंकियों एवं नल कनेक्शन के कार्यों में बढोत्तरी होने के कारण यह पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है.

डॉ यादव ने सतीश उपाध्याय को दी बधाई

डॉ मोहन यादव ने मध्यप्रदेश भाजपा के सह-प्रभारी एवं नई दिल्ली के मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र से विधायक सतीश उपाध्याय को दिल्ली जल बोर्ड में उपाध्यक्ष बनाए जाने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं. डॉ यादव ने कहा कि निश्चित ही उनके अनुभव, संगठनात्मक कौशल एवं जनसेवा के संकल्प से जन कल्याणकारी प्रयासों में नया अध्याय लिखा जाएगा.

आठ जिलों में हेल्प डेस्क होंगे स्थापित

इसी क्रम में महिला एवं बाल विकास के तहत महिला एवं बाल सुरक्षा से संबंधित योजनाओं के वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक निरंतर संचालन के लिए कुल 156 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है. स्वीकृति अनुसार चाइल्ड हेल्पलाइन के लिए 113 करोड़ 50 लाख रूपये, केयर एण्ड सपोर्ट टू विक्टिम अंडर पॉक्सो योजना के लिए 27 करोड़ 50 लाख रुपये और शौर्य दल योजना के लिए 15 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है. स्वीकृति अनुसार चाइल्ड हेल्पलाइन अन्तर्गत पूर्व से स्थापित 51 जिलों के साथ-साथ नवगठित 4 जिलों निवाड़ी, मैहर, पांढुर्णा एवं मऊगंज में जिला स्तरीय इकाईतथा 9 पूर्व से स्थापित हेल्प डेस्क के साथ-साथ 04 रेल्वे स्टेशन कटनी, बीना सागर, मेघनगर झाबुआ, सिंगरौली में रेल्वे स्टेशन हेल्प डेस्क और 08 बस स्टैंड छतरपुर, बुरहानपुर, सिवनी, ग्वालियर, झाबुआ, नीमच, सतना एवं बालाघाट में हेल्प डेस्क की स्थापना की जाएगी. इसी तरह लोक सेवा गारंटी अधिनियम को भी अगले पांच वर्ष तक क्रियान्वयन के लिए 360 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है. वहीं श्रमिक कल्याण की विभिन्न योजनाओं को अगले पांच वर्ष तक बनाए रखने के लिए 1779 .07 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है. अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान के लिए 373 करोड़ 38 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है.

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जारी रहेगी

कैबिनेट ने किसानों को फसल हानि या क्षति होने पर वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का आगामी 05 वर्षों तक निरंतर क्रियान्वयन के लिए 11 हजार 608 .47 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति दी है. वहीं वृद्धजनों, कल्याणी महिलाओं और दिव्यांगजन की पेंशन योजना को भी अगले पांव वर्ष तक बनाए रखने के लिए 15,184 .42 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है.

भीषण लू का कहर, 47 डिग्री तक पहुंचा पारा

04 दिनों तक पूरे प्रदेश में हीट वेव का अलर्ट जारी

22 शहरों में तापमान 44 डिग्री से ऊपर

भोपाल, 20 मई. मध्यप्रदेश में गर्मी ने इस बार सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. छतरपुर के नौगांव में तापमान 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो इस सीजन का सबसे अधिक रहा.

खजुराहो में 46.4 डिग्री और प्रदेश के 22 शहरों में तापमान 44 डिग्री से ऊपर दर्ज किया गया. भोपाल में भी भीषण गर्मी देखने को मिली, जहां एयरपोर्ट क्षेत्र में तापमान 44.2 डिग्री और अरेरा हिल्स में 46 डिग्री तक पहुंच गया. इस सीजन में पहली बार भोपाल में रात का तापमान 30 डिग्री दर्ज हुआ, जिससे लोगों को रात में भी राहत नहीं मिली. इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और जबलपुर जैसे बड़े शहरों में भी पारा 43 से 45 डिग्री के बीच बना हुआ है. दोपहर के समय सड़कों और बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा.

> मौसम विभाग ने अगले चार दिनों तक पूरे प्रदेश में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है. उत्तरी मध्यप्रदेश के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है, जहां तीव्र लू का खतरा सबसे ज्यादा है. मौसम वैज्ञानिकों ने लोगों को सलाह दी है कि दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच घर से बाहर निकलने से बचें, पर्याप्त पानी पिएं और हल्के कपड़े पहनें. बच्चों और बुजुर्गों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है.

28 तक होगी गेहूं खरीदी

भोपाल. प्रदेश में अब समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी 28 मई तक होगी. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस संबंध में बुधवार को घोषणा की. गेहूं खरीदी की तिथि अब पांच दिन और बढ़ गई. डॉ. यादव ने कहा कि देश में सर्वाधिक गेहूं खरीदी करने वाला राज्य मप्र है. गेहूं खरीदी का लक्ष्य 75 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 100 लाख मीट्रिक टन किया गया है, जिसकी खरीदी सरकार के माध्यम से की गई है. इसके साथ ही उन्होंने गेहूं खरीदी की अंतिम तिथि 23 मई से बढ़ाकर 28 मई करने की घोषणा की. अभी तक 12 लाख 56 हजार 952 किसानों से 93 लाख 31 हजार 177 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी की जा चुकी है. किसानों को 19 हजार 423 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है.

मध्यप्रदेश में 41 हजार मेडिकल स्टोर बंद

ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में बंद

भोपाल, 20 मई. ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में बुधवार को मध्यप्रदेश में करीब 41 हजार मेडिकल स्टोर्स बंद रहे.

भोपाल में 3 हजार से अधिक दवा दुकानों पर ताले लगे, जिससे प्रमुख मेडिकल बाजारों में दिनभर सन्नाटा रहा. हालांकि अस्पताल परिसरों में संचालित मेडिकल स्टोर्स खुले रखे गए, ताकि गंभीर मरीजों को परेशानी न हो. यह बंद ऑल इंडिया ऑर्गनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स के आह्वान पर किया गया. दवा कारोबारियों ने ऑनलाइन फार्मेसी व्यवस्था के खिलाफ प्रदर्शन किया.

> व्यापारियों ने आरोप लगाया कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फर्जी प्रिस्क्रिप्शन, भारी छूट और बिना पर्याप्त जांच के दवाओं की सप्लाई हो रही है. इससे गलत दवाओं के इस्तेमाल और प्रतिबंधित दवाओं के दुरुपयोग का खतरा बढ़ सकता है. बंद के दौरान प्रशासन ने अस्पतालों और जरूरतमंद मरीजों के लिए वैकल्पिक व्यवस्थाएं बनाए रखीं, ताकि आपात स्थिति में दवाइयों की उपलब्धता प्रभावित न हो. कारोबारियों का कहना है कि मेडिकल स्टोर्स पर प्रशिक्षित फार्मासिस्ट की मौजूदगी में दवाइयां दी जाती हैं, जबकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इस प्रक्रिया की सही निगरानी नहीं हो पाती.

एक नजर में

हजारों निवेशकों की नहीं मिल रही जमा पूंजी

सीधी. देश भर में निवेशकों द्वारा सहारा में कई सौ करोड़ रुपए जमा कराए गए हैं. जिसकी वापसी को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है. केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा चुनाव से पूर्व सहारा निवेशकों की बड़ी समस्या का समाधान करने के लिए सहारा रिफंड पोर्टल लांच किया गया था. पोर्टल के जरिए सहारा की चार को-ऑपरेटिव सोसायटी के निवेशकों को आवेदन करने को कहा गया था. उक्त आवेदन के बाद 45 दिन के अंदर संबंधित निवेशक को जमा राशि में 10 हजार रुपए अधिकतम प्रथम किस्त में उसके द्वारा दिए गए बैंक एकाउंट में भेजने की व्यवस्था बनाई गई थी.

वीडी के भतीजे की कार स्कॉर्पियो से टकराई

शिवपुरी. भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष, सांसद वीडी शर्मा के भतीजे प्रमोद शर्मा की कार स्कॉर्पियो से टकरा गई. प्रमोद ने टक्कर मारने वालों पर 50 हजार मांगने, मारपीट करने और धमकी देने का आरोप लगाया है. बदरवास थाना क्षेत्र में इस सड़क हादसे के बाद जमकर विवाद हो गया. मामले में प्रमोद शर्मा, जिन्हें सांसद वीडी शर्मा का भतीजा बताया जा रहा है, ने स्कॉर्पियो सवार युवकों और होटल कर्मचारियों पर मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाए.

प्रतिमा के जाति प्रमाण पत्र पर उठे सवाल

प्रदीप ने प्रमाण पत्र को 'फर्जी' बताते हुए निरस्त करने की मांग

विशेष संवाददाता

भोपाल- मध्यप्रदेश अनुसूचित जाति कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार ने बुधवार को राज्य स्तरीय जाति छानबीन समिति के समक्ष उपस्थित होकर राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी के अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र को 'फर्जी' बताते हुए उसे तत्काल निरस्त करने की मांग की.

प्रदीप अहिरवार ने प्रमुख सचिव ई. रमेश सहित समिति के अन्य अधिकारियों के समक्ष दस्तावेज प्रस्तुत करते हुए दावा किया कि प्रतिमा बागरी का परिवार वर्ष 1950 की संवैधानिक स्थिति के अनुसार अनुसूचित जाति वर्ग में नहीं आता है. उन्होंने आरोप लगाया कि नियमों के विपरीत जाति प्रमाण पत्र जारी किया गया.

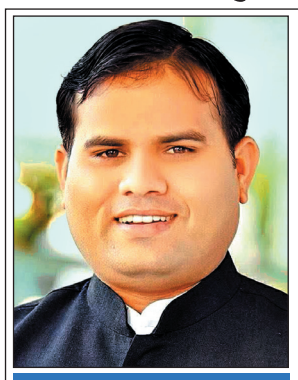

1 वर्ष पहले स्तरीय छानबीन समिति से की थी शिकायत

अहिरवार ने बताया कि इस मामले की शिकायत एक वर्ष पहले राज्य स्तरीय छानबीन समिति से की गई थी. कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने जबलपुर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की. उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 60 दिनों के भीतर मामले में निर्णय लेने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद कार्रवाई तेज हुई. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि विंध्य क्षेत्र में बागरी समुदाय को सामान्य वर्ग की राजपूत जाति माना जाता है और इसी आधार पर प्रमाण पत्र निरस्त किया जाना चाहिए.

लगातार बढ़ रहा आम जनता पर आर्थिक बोझ

पेट्रोल-डीजल कीमतों और कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरा

विशेष संवाददाता

भोपाल, 20 मई. मध्यप्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों, कानून व्यवस्था, कथित भ्रष्टाचार और संवेदनशील मामलों में पारदर्शिता की कमी को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है.

उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार अत्यधिक कर लगाकर आम जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ा रही है. भोपाल में मीडिया से चर्चा करते हुए उमंग सिंघार ने कहा कि मध्यप्रदेश में पेट्रोल और डीजल पर लगभग 29 प्रतिशत वैट, प्रति लीटर 2.5 रुपये अतिरिक्त कर तथा अन्य उपकर लगाए जा रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि इसी वजह से मध्यप्रदेश और पड़ोसी उत्तरप्रदेश में ईंधन कीमतों में करीब 12 रुपये प्रति लीटर तक का अंतर देखने को मिल रहा है.

उन्होंने केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि एक ओर आम नागरिक महंगाई और ईंधन की बढ़ती कीमतों से परेशान हैं, उन्होंने इसे आर्थिक संकट के दौर में 'प्रतीकात्मक कूटनीति' करार दिया. उमंग सिंघार ने मुख्यमंत्री द्वारा मंत्रियों की कार्यप्रणाली की समीक्षा संबंधी घोषणा पर भी सवाल उठाए. उन्होंने पूछा कि क्या मुख्यमंत्री अपने गृह विभाग की भी जवाबदेही तय करेंगे, जहां प्रदेश में अपराध, महिलाओं और आदिवासियों पर अत्याचार, माफिया गतिविधियों तथा बिगड़ती कानून व्यवस्था के आरोप लगातार सामने आ रहे हैं.

> उज्जैन स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर परिसर के आसपास कथित भूमि सौदों का मुद्दा उठाते हुए उमंग सिंघार ने आरोप लगाया कि भाजपा से जुड़े लोग आस्था के विषय को भूमि कारोबार और भ्रष्टाचार का माध्यम बना रहे हैं. समान नागरिक संहिता पर चल रही चर्चाओं को लेकर भी उन्होंने कहा कि इतने संवेदनशील संवैधानिक विषय पर बंद कमरों में कुछ लोगों द्वारा निर्णय नहीं लिया जा सकता. उन्होंने सामाजिक संगठनों, संवैधानिक विशेषज्ञों और विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधियों से व्यापक परामर्श की मांग की.

भोपाल में चलाया गया स्वच्छता अभियान

प्रमुख स्टेशनों पर पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम

भोपाल, 20 मई. विश्व पर्यावरण दिवस अभियान के तहत पश्चिम मध्य रेल, भोपाल मंडल द्वारा बुधवार को भोपाल, इटारसी और बीना सहित कई प्रमुख स्टेशनों पर विशेष स्वच्छता एवं जनजागरूकता अभियान चलाया गया.

इस दौरान यात्रियों, रेल कर्मचारियों और सफाई कर्मियों को पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूक किया गया.

भोपाल स्टेशन पर परिसर के विभिन्न हिस्सों में विशेष सफाई अभियान चलाया गया, जिससे स्टेशन को स्वच्छ और सुरक्षित बनाए रखने का संदेश दिया गया. यात्रियों और कर्मचारियों को स्वच्छ वातावरण बनाए रखने के लिए प्रेरित किया गया.

इटारसी स्टेशन पर सर्कुलेटिंग एरिया, ट्रैक, ब्रिज, शौचालय और वाटर बूथ की गहन सफाई की गई. इस दौरान अधिकारियों और सफाई कर्मियों ने मिलकर स्टेशन की स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया.

15 दिन का सुरक्षा अभियान शुरू

भोपाल. रेल मंडल में सुरक्षित रेल यात्रा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 15 दिवसीय विशेष संरक्षा अभियान शुरू किया गया है. यह अभियान 20 मई से 4 जून 2026 तक चलेगा. मंडल रेल प्रबंधक पंकज त्यागी के मार्गदर्शन में इसे संचालित किया जा रहा है. इस अभियान के तहत भोपाल मंडल से गुजरने वाली सभी यात्री ट्रेनों के कोचों की गहन जांच की जा रही है. विशेष रूप से अग्नि सुरक्षा, विद्युत उपकरणों की स्थिति और कोचों के मेंटेनेंस पर ध्यान दिया जा रहा है.

5 गुमशुदा बालिकाओं को खोज निकाला

ऑपरेशन मुस्कान : प्रदेशभर में तकनीक आधारित अभियान तेज

विशेष संवाददाता

भोपाल, 20 मई. महिला एवं बाल सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करते हुए मध्यप्रदेश पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत अपहृत एवं गुमशुदा नाबालिगों की तलाश के लिए प्रदेशभर में समन्वित और तकनीक आधारित अभियान तेज कर दिया है.

बीते एक सप्ताह में पुलिस टीमों ने विभिन्न राज्यों से पांच गुमशुदा नाबालिग बालिकाओं को सकुशल दस्तयाब कर उनके परिजनों से मिलाया. उज्जैन जिले की उन्हेल थाना पुलिस ने 16 वर्षीय गुमशुदा बालिका को महज 24 घंटे के भीतर गुजरात के राजकोट से सुरक्षित बरामद कर लिया. पुलिस की त्वरित कार्रवाई और तकनीकी जांच के चलते बालिका को सुरक्षित वापस लाया जा सका.

कटनी जिले में बरही थाना पुलिस ने अपहृत बालिका को दिल्ली से सकुशल दस्तयाब किया, जबकि स्लीमनाबाद थाना पुलिस ने बिहार के पटना से एक अन्य गुमशुदा बालिका को खोजकर परिजनों के सुपुर्द किया.

इसी तरह मुरैना कोतवाली पुलिस ने प्रकरण दर्ज होने के 16 दिन के भीतर उत्तरप्रदेश के हापुड़ से 16 वर्षीय बालिका को सुरक्षित बरामद किया.

पुलिस ने एक अन्य किशोरी को खोज निकाला

वहीं, गुना कोतवाली पुलिस ने लगातार मैदानी प्रयासों और तकनीकी ट्रैकिंग के माध्यम से दिल्ली से एक अन्य किशोरी को खोज निकाला. मध्यप्रदेश पुलिस के अनुसार, ऑपरेशन मुस्कान अब बच्चों की सुरक्षा और पीड़ित परिवारों को राहत पहुंचाने वाला मानवीय अभियान बन चुका है, जिसमें साइबर ट्रैकिंग, अंतरराज्यीय समन्वय और त्वरित कार्रवाई महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं.

भव्य आयोजन | समारोह के मुख्य अतिथि भोपाल पुलिस आयुक्त संजय कुमार ने परेड की सलामी ली तथा परेड का किया निरीक्षण

दीक्षांत परेड : 521 नव आरक्षक एमपी पुलिस में शामिल

विशेष संवाददाता

भोपाल, 20 मई. पुलिस प्रशिक्षण शाला भौंरी, भोपाल में आयोजित भव्य दीक्षांत परेड के साथ चौथे बैच के 521 नव आरक्षकों का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ और उन्हें औपचारिक रूप से मध्यप्रदेश पुलिस बल में शामिल किया गया.

अनुशासित कदमताल, देशभक्ति के उत्साह और आकर्षक परेड ने समारोह में मौजूद अतिथियों एवं परिजनों को रोमांचित कर दिया. समारोह के मुख्य अतिथि भोपाल पुलिस आयुक्त संजय कुमार ने परेड की सलामी ली तथा खुली जीप में सवार होकर परेड का निरीक्षण किया.

नव नियुक्त आरक्षकों में 322 महिला आरक्षक एवं 199 पुरुष आरक्षक शामिल हैं. समारोह को संबोधित करते हुए संजय कुमार ने कहा कि पासिंग आउट परेड प्रत्येक पुलिस अधिकारी और कर्मचारी के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण होता है. कठिन प्रशिक्षण के बाद पुलिसकर्मी समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए पूरी तरह तैयार होकर मैदान में उतरता है.

उन्होंने कहा कि आमजन, विशेषकर कमजोर और पीड़ित वर्ग, विपरीत परिस्थितियों में पुलिस को उम्मीद की किरण के रूप में देखता है. आपराधिक न्याय प्रणाली में पीड़ितों को न्याय दिलाने में पुलिस की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है.

पुलिस आयुक्त ने कहा कि पुलिस की वर्दी केवल किसी व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे विभाग का प्रतिनिधित्व करती है. इसलिए सभी नव आरक्षकों को ईमानदारी, संवेदनशीलता, अनुशासन और जनसेवा की भावना के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए.

झउप निदेशक डॉ. संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि प्रशिक्षण के दौरान नव आरक्षकों को आधुनिक पुलिसिंग और व्यवहारिक दक्षताओं से लैस किया गया.

> प्रशिक्षण में कानून-व्यवस्था प्रबंधन, साइबर अपराध जांच, सामुदायिक पुलिसिंग, थाना प्रबंधन, शारीरिक दक्षता, हथियार संचालन, योग और हार्टफुलनेस का विशेष प्रशिक्षण शामिल रहा. यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 30 जून 2025 से प्रारंभ हुआ था, जिसका समापन दीक्षांत परेड के साथ हुआ.

पेज एक का शेष

एक जून से होंगे तबादले

प्रावधानों के हिसाब से जिले के भीतर तबादलों के मामले में प्रभारी मंत्री को ताकतवर बनाया गया है. जिला एवं राज्य संवर्ग के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का जिले के भीतर स्थानांतरण प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से होगा, कलेक्टर इस संबंध में आदेश जारी करेंगे. वहीं राज्य संवर्ग के प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले एक जिले से दूसरे जिले में करने का अधिकार विभागीय मंत्री को होगा. विभागीय मंत्री के अनुमोदन के बाद प्रशासकीय विभाग इस संबंध में आदेश जारी करेंगे. इसी क्रम में चतुर्थ श्रेणी के शासकीय सेवकों का स्थानांतरण विभागाध्यक्ष विभागीय मंत्री के अनुमोदन से जारी कर सकेंगे. वहीं सभी विभागों के विभागाध्यक्ष तथा शासकीय उपक्रमों एवं संस्थाओं में पदस्थ प्रथम श्रेणी के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों का स्थानांतरण समन्वय में मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद किया जायेगा.

200 तक की संख्या वाले विभाग 20 फीसदी तक कर सकेंगे तबादला :

कौन से विभाग कितना तबादला कर सकेंगे, इसका फार्मूला पिछली नीति की तरह ही रखा गया है. 200 तक शासकीय अमला वाले विभाग अधिकतम 20 फीसदी तक तबादला कर सकेंगे, इसी तरह जैसे-जैसे विभाग के अमले की संख्या बढ़ती जाएगी.

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्रा. लि. हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशीष श्रोती द्वारा 3, इंदिरा प्रेस कॉम्प्लेक्स, रामगोपाल माहेश्वरी मार्ग, महाराणा प्रताप नगर, जोन-1, भोपाल से प्रकाशित एवं नवभारत प्रेस भोपाल प्रा.लि., इंदिरा प्रेस कॉम्प्लेक्स से मुद्रित. संपादक दिलीप झा*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन-4939198, ईमेल-bhopalnav@gmail.com RNI Reg. No. 35046/56 डाक पंजीयन क्रमांक M.P/B.P.L/711/2012-14